सशस्त्र संघर्ष के दौरान सैन्य उपयोग से स्कूलों और विश्वविद्यालयों के सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश

सशस्त्र संघर्ष के पक्षों से आग्रह है कि वे अपने किसी भी सैन्य प्रयास में स्कूलों और विश्वविद्यालयों का उपयोग न करें. हालांकि यह माना जाता है कि कुछ उपयोग सशस्त्र संघर्ष के कानून के प्रतिकूल नहीं होंगे, सभी पक्षों को जिम्मेदारी भरे व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उपयोग कर विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा के अतिक्रमण से बचने की कोशिश करनी चाहिए:

दिशानिर्देश 1: किसी भी सैन्य प्रयास में सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत पक्षों द्वारा कार्यशील स्कूलों और विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

(अ) यह सिद्धांत उन स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर भी लागू होता है जो सामान्य कक्षा अवधि के बाद एवं सप्ताहांत, छुट्टियों और अवकाश अवधि के दौरान अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं.

(ब) सशस्त्र संघर्ष के सभी पक्ष स्कूलों और विश्वविद्यालयों को खाली करा कर उन्हें सैन्य प्रयास के लिए उपलब्ध कराने के लिए न तो बल प्रयोग करेंगे और न ही शिक्षा प्रशासकों को प्रोत्साहन राशि की पेशकश करेंगे.

दिशानिर्देश 2: सशस्त्र संघर्ष के खतरों के कारण छोड़े गए या खाली किए गए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत पक्षों द्वारा किसी सैन्य प्रयास के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए, सिवाय जब कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में उनके पास और कोई व्यवहारिक विकल्प न हो, और ऐसा तब तक ही किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी सैन्य बढ़त प्राप्त करने के लिए स्कूल या विश्वविद्यालय और अन्य व्यवहारिक तरीकों के बीच कोई विकल्प न हो. अन्य इमारतों को बेहतर विकल्प मानना चाहिए और स्कूल एवं विश्वविद्यालय भवनों के मुकाबले तरजीह देते हुए इनका उपयोग किया जाना चाहिए, भले ही वे सुविधाजनक जगह पर न अवस्थित हों या उनकी बनावट वैसी न हो, सिवाय तब जबकि ऐसी इमारतें (जैसे अस्पताल) अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित की गई हों और ऐसा यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि सशस्त्र संघर्षों के पक्षों को हमेशा सभी असैनिक सामानों की रक्षा के लिए तमाम व्यवहारिक सावधानी बरतनी होगी.

(अ) छोड़े गए या खाली किए गए स्कूलों और विश्वविद्यालयों का ऐसा कोई भी उपयोग न्यूनतम आवश्यक समय के लिए होना चाहिए.

(ब) सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत पक्षों द्वारा सैन्य प्रयास में इस्तेमाल में लाए गए छोड़े या खाली किए गए स्कूल या विश्वविद्यालय खाली किए जाने के बाद उपलब्ध होने चाहिए ताकि शैक्षिक अधिकारी उन्हें मुमकिन होते ही फिर से खोल सकें, बशर्ते ऐसा करने में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालने का जोखिम न हो.

(स) युद्धरत सैन्य बलों की वापसी के बाद किसी भी प्रकार के सैन्यकरण या किलाबन्दी के निशान या संकेत पूरी तरह से मिटा देने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, संस्था के

बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. विशेष रूप से, कार्यस्थल से सभी हथियार, जंगी सामान, उपयोग न किए गए गोला-बारूद या अवशेषों को साफ करना चाहिए.

दिशानिर्देश 3: सशस्त्र संघर्ष के विरोधी पक्ष को भविष्य में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के इस्तेमाल से वंचित करने के लिए कभी भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए. स्कूल और विश्वविद्यालय आम तौर पर असैनिक संस्थान होते हैं चाहे उनका सत्र चल रहा हो, वे किसी खास दिन या छुट्टियों के लिए बंद हों, खाली कर दिए या छोड़ दिए गए हों.

दिशानिर्देश 4: जब सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत पक्षों द्वारा सैन्य प्रयास में किसी स्कूल या विश्वविद्यालय का उपयोग किया जाता है, तो परिस्थितियों के आधार पर, यह एक सैन्य ठिकाना बन सकता है जिस पर हमला हो सकता है, सशस्त्र संघर्ष के पक्षों को उन पर हमला करने से पहले सभी संभावित वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए, जिसमें, जब तक परिस्थितियों की अनुमति नहीं होती, दुश्मन को अग्रिम चेतावनी दिया जाना दी जानी चाहिए कि अगर वे इसका उपयोग बंद नहीं करते तो हमला किया जाएगा.

(अ) स्कूल जो सैन्य ठिकाना बन गया है, उस पर किसी भी हमले से पहले सशस्त्र संघर्ष के पक्षों को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे विशेष सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं. एक अन्य अहम चिंता स्कूल को क्षति पहुंचाने या उसको नष्ट किए जाने के कारण समुदाय की शिक्षा तक पहुंच के समक्ष उत्पन्न होने वाला संभावित दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव है.

(ब) संघर्ष के एक पक्ष के युद्धरत बलों द्वारा स्कूल या विश्वविद्यालय के सैन्य उपयोग को इन पर कब्ज़ा ज़माने वाले विपक्षी गुट के लिए यह आधार नहीं बनाया जाना चाहिए कि वह इसका सैन्य इस्तेमाल जारी रखें. जितनी जल्दी संभव हो, सैन्यकरण या किलाबंदी का हर सबूत या संकेत मिटा देना चाहिए और यह सुविधा शैक्षिक कार्य के लिए असैन्य अधिकारियों को लौटा दी जानी चाहिए.

दिशानिर्देश 5: सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत बलों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय जब तक आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के विकल्प उपलब्ध नहीं हो. यदि संभव हो, स्कूल और विश्वविद्यालयों की सुरक्षा के लिए उचित प्रशिक्षित असैन्य कर्मियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो बच्चों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने पर भी विचार करना चाहिए.

(अ) यदि युद्धरत बल स्कूलों और विश्वविद्यालयों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो यदि संभव हो तो मैदानों या भवनों के भीतर उनकी उपस्थिति से बचना चाहिए जिससे कि संस्थान की असैन्य पहचान और शैक्षणिक माहौल में बाधा नहीं डाला जा सके.

दिशानिर्देश 6: सशस्त्र संघर्ष के सभी पक्ष, जहां तक संभव हो और उपयुक्त हो, इन दिशानिर्देशों को सिद्धांतों, सैन्य नियमावली, लड़ाई के नियमों, सामरिक आदेशों और प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों में शामिल करना चाहिए ताकि पूरी कमान श्रृंखला में उपयुक्त

व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके. इस पर अमल के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षों को सबसे उपयुक्त तरीका निर्धारित करना चाहिए.

DRAFT